परिपत्र संख्या- १९२००८५/2019-20

विषयः वाणिज्य कर विभाग का स्थापना दिवस
पत्र संख्या-एस0एस0-स्था0 दिवस/2019-20/ 883 /वाणिज्य कर

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊः दिनांक 5 फरवरी, 2020

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर (जोनल मुख्यालय के सम्भाग को छोड़कर)
जोनल व सम्भागीय मुख्यालय को छोड़कर शेष जनपद के वरिष्ठ डिप्टी कमिश्नर/खण्डाधिकारी, वा0 कर,
एवं एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश व अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान)

अवगत है कि वाणिज्य कर विभाग का स्थापना दिवस 26 फरवरी को है। भारतीय संविधान के 70 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता अभियान को समरसता दिवस तक आयोजित किये जाने की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है जिसके लिए इस कार्यालय के पत्र सं0 731 दिनांक 27.12.2019 द्वारा आपको सूचित किया गया है कि विभाग के **स्थापना दिवस** के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों विद्वान अधिवक्ता बन्धुओं एवं सम्मानित व्यापारीगण के साथ खेल कूद सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।

1- दिनांक 26 फरवरी, 2020 प्रातः 10:00 बजे **भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सकल्प** पढ़ा जाएगा।

"हम भारत के लोग भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,** विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,** प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखण्डता** सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

2- दिनांक 26 फरवरी, 2020 को खेल कूद सेमिनार एव अभिव्यक्ति का संक्षिप्त कार्यक्रम भी कार्यालय परिसर में कराया जा सकता है जिसमें वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता व व्यापारी वर्ग को ही सम्मिलित किया जाए। जिसका विषय होगा:-

अभिव्यक्ति के संक्षिप्त कार्यक्रम का विषयः जीएसटी में पंजीकरण के लाभ

3- प्रत्येक जोन में वर्ष में सबसे अधिक नेट कर देने वाले बड़े करदाता (पी0एस0यू0 व लिमिटेड कम्पनियों को छोड़कर) जिन्होंने गत दो वर्ष में उत्तरोत्तर अधिक वृद्धि दर से राजस्व जमा किया हो एवं जी0एस0टी के अन्तर्गत नियमित देय रिटर्न दाखिल किया हो एवं जिनकी कोई वि0अनु0शा0 जांच गत दो वर्ष में न हुई हो, को शील्ड/मोमेण्टो से सम्मानित किया जाए।

शील्ड/मोमेण्टो पर **"सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान"** लिखा जाए व **"वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस राजस्व योगदान सम्मान जोन......वर्ष-2020" अंकित किया जाएगा।**

4- प्रत्येक जोन में राजस्व संग्रह/प्रवर्तन कार्य में विशिष्ट योगदान करने वाले अधिकारी/कर्मचारी (इस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त/कार्यरत) को सम्मानित किया जाए। सम्मानित किये जाने वाले सदस्य को शील्ड/मोमेण्टो दिया जाएगा, जिस पर **"वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस विशिष्ट योगदान सम्मान जोन.......वर्ष, 2020"** अंकित किया जाएगा।

5- जिस स्थल पर दो जोन हैं, दोनों जोन मिलकर संयुक्त रूप से एक ही कार्यक्रम रखेंगे और एक ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। मुख्यालय एवं ट्रेनिंग सेन्टर के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लखनऊ जोन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभाग किया जाएगा।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांकःतदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 को अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव राज्य कर (अनुभाग–3) उत्तर प्रदेश शासन को शासन के पत्र सं0 20841/11.3.19 दिनांक 20.12.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
3. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय व वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान को अपने अधीनस्थ अनुभागों के सभी अधिकारी व कार्मिकों को लखनऊ जोन द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु।

(ए0 के0 शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।